कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:— प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971 लखनऊ: दिनांक: 15—9—2020

:—कार्यालय ज्ञाप—:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020—21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14—8—2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020—21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2020—21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद—3 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार—विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया —

**" निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020—21 हेतु पी0सी0आई0 द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी0सी0आई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020—21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार—विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी0सी0आई0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020—21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"**

दिनांक 14—08—2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020—21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है —

| क्र0 सं0 | संस्था कोड | संस्था का नाम | पाठ्यक्रम का नाम | पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2020—21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता | पी0सी0आई0/परिषद द्वारा सत्र 2020—21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | बाबा रामनाथ उत्कर्ष फार्मेसी कॉलेज, विलेज—बालपुर, खाराईला, पो0— सरायपलटू, तह0—लालगंज, आजमगढ़। | डिप्लोमा इन फार्मेसी | 60 | 60 |

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, सेमेस्टर विनियमावली—2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्जी0 पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30,150.00/— प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0— 45,000.00/—प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0—22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय—समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020—21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली—2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को समय—समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज—सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- संस्था को शिक्षण—प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को सलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि—भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(डा0 आर0के0 सिंह)
सचिव

पृ0सं0— प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972—3141 तद् दिनांक: 15—09—2020

प्रतिलिपि—प्रधानाचार्य/निदेशक, बाबा रामनाथ उत्कर्ष फार्मेसी कॉलेज, विलेज—बालपुर, खाराईला, पो0— सरायपलटू, तह0—लालगंज, आजमगढ़।

(डा0 आर0के0 सिंह)
सचिव

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

उत्तर प्रदेश सम्भाग

संख्या:- परिषद/परिषद सम्भाग/2021/3537 अवधपुर दिनांक: 06/08/2021

आदेश

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली/अखिल भारतीय आयुर्वेदिक औषध शृंखला, नई दिल्ली द्वारा सेशिन वर्ष 2021-22 हेतु फिजीबिल्टी संस्तुति तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत परिषद् शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के सम्बद्धता/अनुबद्धता विभाग प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 05/08/2021 को परिषद् कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए वर्ष 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को परिषद् शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अधीन प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है –

**संस्था का कॉड एवं नाम : 4928-BABA RAMNATH UTKARSH PHARMACY COLLEGE VILL-BALPUR KHARAILA POST-SARAIPALTU,TEHSIL-LALGANJ,AZAMGARH-276302**

| क्रमांक | पाठ्यक्रम का नाम | एआईसीटीई/ फार्मेसी काउंसिल द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---|---|---|---|
| 1 | DIPLOMA IN PHARMACY | 60 | 60 |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईसीटीई/फार्मेसी काउंसिल द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् विनियमावली 1992, डीम्डबर्ड विनियमावली-2018 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क (प्रवेश शुल्क/ वार्षिक शुल्क) परिषद्, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष के वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0-22500.00/- परिषद् शुल्क ही पाठ्यक्रम प्रारम्भ से पहले लिया जायेगा। प्रवेशित छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर संस्थान द्वारा निर्गत किये जाने वाले स्पष्टीकरण मान्य होंगे, और अनुपालन कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा। यदि शिक्षण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु शैक्षिक सत्र पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो शैक्षिक सत्र स्वतः परिवर्तनीय होगा।
- ✓ संस्था को (उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा संस्थानिक सभा उत्तर प्रदेशिनियम, संस्थाओं एवं सम्बद्ध शिक्षा अधिनियम) विनियमावली 2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था को डा0 एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आयोजित काउंसिलिंग में ही प्रवेश किया जायेगा। प्रवेश के लिए 10 जनवरी की तिथि से उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्धारित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा कराना होगा।
- ✓ संस्था को एआईसीटीई/फार्मेसी काउंसिल से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ शासन/ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर विनियमावली/अधिनियम/शासनादेश/निर्देशों एवं निदेशन, प्राविधिक शिक्षा, 2000, अनुक्रम प्रवेश परिषद् परिषद्, 2000 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद्, 2000 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन संस्था के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विद्यालय द्वारा फार्मेसी पाठ्यक्रम की संचालन अवधि पाँच वर्ष की अवधि हेतु विद्यालयी से अनुमोदन प्राप्त करते समय अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त संस्था को प्रत्येक वर्ष से प्रवेशित छात्र/छात्राओं की संख्या का ब्योरा और विभिन्न स्रोत से मिली फीस की जानकारी के लिए संस्था स्वयम उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा निकाय उत्तर प्रदेश शासन जो कोई भाग प्रभार किया जाना है उसका भुगतान के संबंध में अन्य समायोजन द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संस्थान अदेय किया जाना है तो समस्त प्रतिपूर्ति संस्थानिक संस्थान को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा फुल फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान परिषद् परिषद्, उत्तर प्रदेश उच्चतर द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमोदित प्रवेश परीक्षा हेतु छात्र/छात्राओं प्रवेश होने के पूर्व परिषदीय/आईटी से अनुमोदित प्राप्त कर परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। उल्लेखनीय रहे यदि प्रवेश की छात्र/छात्राओं के मामलात में अथवा संस्था स्तर पर होगी प्रवेश। अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित आरक्षण/अन्य आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने विद्यालय एवं छात्रों की सम्बन्धित सूचनाएं जैसे संस्था की एतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, आय-व्यय, उपलब्धता, प्रवेश विवरण आदि तथा शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यालय-परिसर हेतु अपेक्षित आवश्यक व्यवस्था करने के साथ प्रवेशित एवं उपस्थित छात्र/छात्राओं की सुरक्षा का उत्तरदायित्व संस्था का होगा।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में एआईसीटीई/फार्मेसी काउंसिल के मानकों के अनुरूप पर्याप्त संख्या में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है। यदि परिषद् को इसकी जानकारी मिलती है कि संस्था द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गयी है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, छात्रावास एवं अन्य स्टाफ-मानकों एआईसीटीई/फार्मेसी काउंसिल/परिषद् के अनुरूप उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुपालनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

दिनांक: 06/08/2021

पृष्ठांक- परिषद/परिषद सम्भाग/2021/3538-4928

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक,BABA RAMNATH UTKARSH PHARMACY COLLEGE VILL-BALPUR KHARAILA,POST-SARAIPALTU,TEHSIL-LALGANJ,AZAMGARH-276302

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817 लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

:-कार्यालय आदेश-:

[illegible] 2022-23 [illegible] 30/08/2022 [illegible]

[illegible] 2022-23 [illegible]

संस्था का कोड एवं नाम : 4028-BABA RAMNATH UTKARSH PHARMACY COLLEGE

| क्र0सं0 | पाठ्यक्रम का नाम | ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---|---|---|---|
| 1 | DIPLOMA IN PHARMACY | 60 | 60 |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेल्फ फाइनेंस विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण कमेटी द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जायेगा। बी0 फार्मेसी पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। वर्तमान निरीक्षण कमेटी द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, ए0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा जारी नये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद में संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की परिपृच्छा संस्था/ आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त परिपृच्छा संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सचिवालय द्वारा छात्रों के प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(एच0आर0 खान)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455 दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक,BABA RAMNATH UTKARSH PHARMACY COLLEGE

(एच0आर0 खान)

सचिव